

प्रेस नोट थाना खोराबार गोरखपुर दिनांक 08.08.2022

गैंगेस्टर एक्ट में जप्तशुदा मकान का सर्वसील ताला तोड़कर मकान में निवास करने वाला गैंगेस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर के मार्ग दर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में, जनपद में अपराध व अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत प्र0नि0 थाना खोराबार की टीम द्वारा आज दिनांक 08/08/2022 को मुखबिर खास की सूचना पर देवरिया बाइपास थाना जनपद गोरखपुर से दो व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया गया, नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम 1.मोतीचन्द्र पुत्र स्व0 बुद्धू निषाद तथा दूसरे ने अपना नाम 2. राजेश निषाद पुत्र मोतीचन्द्र निवासीगण सिक्टौर टोला करमहिया थाना खोराबार, गोरखपुर बताया। उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 387/22 धारा 188,447,420 भादवि0 व 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान नि0अधि0 पंजीकृत है जिन्हे अपराध का बोध कराते हुये समय करीब 11.40 बजे पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण - थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 562/18 धारा 3(1) यू0पी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.

मोतीचन्द्र निषाद पुत्र स्व0 बुद्धू निषाद 2.राजेश निषाद पुत्र मोतीचन्द्र निषाद 3. जयहिन्द निषाद पुत्र मोतीचन्द्र निषाद निवासीगण सिक्टौर टोला करमहिया थाना खोराबार जनपद गोरखपुर का मकान श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 18.08.2020 धारा 14(1) यू0पी0 गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा पुलिस टीम की इमदाद से जप्त कर सील कर दिया गया था। पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान यहा पाया गया कि उपरोक्त अभियुक्तगण सीलसुदा मकान का ताला तोड़कर सपरिवार अवैधानिक तरीके से स्वयं व तथ्य को छुपाते हुए रिलायंस कम्पनी के कर्मचारीगण को किराये पर दिया है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछे जाने पर उनलोगो ने बताया कि कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार मेरा मकान अवमुक्त कर दिया गया है जब अवमुक्त आदेश की प्रति मांगा गया तो दूसरी पत्रावली प्रस्तुत किया जो अवमुक्त आदेश नहीं था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. मोतीचन्द्र निषाद पुत्र स्व0 बुद्धू निषाद निवासी सिक्टौर टोला करमहिया थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. राजेश निषाद पुत्र मोतीचन्द्र निषाद निवासी सिक्टौर टोला करमहिया थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान:-

दिनांक 08/08/2022 समय 11.40 बजे , देवरिया बाइपास थाना जनपद गोरखपुर

अपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त राजेश निषाद पुत्र मोतीचन्द्र निषाद निवासी सिक्टौर टोला करमहिया थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0 78/2021 धारा 181,419 भा0द0वि0 थाना खोराबार, गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 319/2016 धारा 323,325,504 भा0द0वि0 थाना खोराबार, गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 892/2018 धारा 504,506 भा0द0वि0 थाना खोराबार, गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 214/2018 धारा 420,467,468 भा0द0वि0 व 60,72आबकारी अधिनियम भा0द0वि0 थाना खोराबार, गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 213/2018 धारा 272,419,420,467,468,471 भा0द0वि0 व 60(2)आबकारी अधिनियम व 54,64 कापीराइट एक्ट थाना खोराबार, गोरखपुर
6. मु0अ0सं0 526/2018 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना खोराबार, गोरखपुर
7. मु0अ0सं0 16/2015 धारा 279,304ए,337,338,427 भा0द0वि0 थाना खोराबार, गोरखपुर
8. मु0अ0सं0 1062/2016 धारा 147,323,395,427,504,506 भा0द0वि0 थाना खोराबार, गोरखपुर
9. मु0अ0सं0 583/2014 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना खोराबार, गोरखपुर
10. मु0अ0सं0 1192/2008 धारा 147,148,323,342, 498A499, 500, 504, 506 भा0द0वि0 व 3(1)(iii), 3(1)(iii) SC/ST Act खोराबार
11. मु0अ0सं0 309/2013 धारा 279,304ए भा0द0वि0 थाना खोराबार , गोरखपुर
12. मु0अ0सं0 387/22 धारा 188,447,420 भादवि0 व 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान नि0अधि0थाना खोराबार , गोरखपुर

मोतीचन्द निषाद पुत्र स्व० बुद्धू निषाद निवासी सिक्टौर टोला करमहिया थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

1. मु०अ०सं० 387/22 धारा 188,447,420 भादवि० व 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान नि०अधि० थाना खोराबार, गोरखपुर
2. मु०अ०सं० 526/2018 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना खोराबार, गोरखपुर
3. मु०अ०सं० 213/2018 धारा 272,419,420,467,468,471 भा०द०वि० व 60(2)आबकारी अधिनियम व 54,64 कापीराइट एक्ट थाना खोराबार, गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी/कर्म० का नाम व नियुक्ती स्थान

1. उ०नि० रिजवान अहमद थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. का० अजीत यादव थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. का० कृष्ण कुमार गुप्ता थाना खोराबार जनपद गोरखपुर